

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: cef.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no.0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ()वसु/मुवसं/2020-21/ 4995

दिनांक :- 24.09.2020

निमित्

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों
एवं 395 ढाणियों में पर्यावरण की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण के
कार्य में प्रभावित होने वाले 16.4546 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।
(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/39353/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ14(WATER/ PHED)2019/एफसीए/प्रमुवसं/2118 दिनांक
06.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पर्यावरण की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाले 16.4546 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/08/18/2020/एफसी/736 दिनांक 16.07.2020 से आलौच्य प्रकरण में बिन्दुवार सूचना चाही गयी है, जो उप वन संरक्षक, बांसवाडा ने उनके पत्रांक एफ14 ()एफसीए/उवस./2020/5402-403 दिनांक 17.09.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है। वांछित निम्नानुसार बिन्दुवार सूचना तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमतिके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	WTP and Pump House are proposed to be constructed on Forest land, however, as per Google earth imagery and digital maps adjoining non forest land can be used for this purpose. Why these structures have been proposed on forest land.	प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र एवं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु वनभूमि के उपयोग के संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कार्यालय सहमत है। तदनुसार एवं मौके की स्थिति के अनुसार इस कार्य हेतु वनभूमि के उपयोग के अलावा अन्य और कोई विकल्प मौजूद नहीं है।
2	CA scheme to be as per FCA guidelines, for planting 1000 saplings per ha.	प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान श्रमिक दरों के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किए गए मॉडल के अनुसार ही है, जो कि सही है।
3	No objection certificates of concerned departments has to be provided.	इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार पर्यावरण की सप्लाई करने हेतु माही डैम से प्रतिदिन 30 लाख लीटर जल लिए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए यूजर एजेंसी के द्वारा जल संसाधन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है जिसकी प्रमाणित -प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
4	Muck disposal plan approved by the DFO has to be provided.	इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार परियोजना के निर्माण कार्य में कोई मलबा सृजित नहीं होगा, इस आशय की अण्डरटेकिंग संलग्न प्रस्तुत है।
5	NPV calculation has to be provided. How is it possible that Eco class and density is same across all forest blocs?	प्रस्ताव में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना के संबंध में निवेदन है कि जिला बांसवाडा हेतु स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार वनमण्डल बांसवाडा के अंतर्गत आने वाला वन क्षेत्र शुष्क पर्याप्ती वन रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिये Eco-Value class III निर्धारित है। परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के निर्माण हेतु वांछित वनभूमि में अधिकांश स्थानों पर वनस्पति का घनत्व 0.2 अथवा उससे भी कम है तथा यह वन क्षेत्र Open forest की श्रेणी में आता है। तदनुसार वनस्पति के औसत घनत्व के आधार पर प्रति हैक्टर 6,26,000 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की गई है, जो कि सही है।
6	The net suitable area for plantation as per GIS DSS analysis is 5-63 ha. which is less than the actual required area for C.A.	भारत सरकार के द्वारा अवगत करवाया गया है कि GIS DSS analysis के अनुसार क्षति-पूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गई 16.4546 हैक्टेयर गैर वनभूमि में से मात्र 5.63 हैक्टेयर क्षेत्र ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। अतः पर्यावरण, वन वन एवं

	<p>जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. 11-423/2011-FC दिनांक 08.11.2017 के द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार बचे हुए लगभग 11.00 हैक्टेयर क्षेत्र के दोगुने अर्थात् 22.00 हैक्टेयर परिभ्राष्ट वन क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किए गए मॉडल के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाये जाने के लिये 16.4546 हैक्टर गैर वनभूमि के पास में ही स्थित 22.00 हैक्टर वनभूमि चिह्नित कर ली गई है। जिसकी SIO Toposheet DGPS Map, Approved CA Modal एवं CA Scheme की हार्ड कॉपी संलग्न प्रस्तुत है। इन सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी Online प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है। चिह्नित की गई 22.00 हैक्टर परिभ्राष्ट वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाने के लिये सर्वथा उपयुक्त पाई गई है।</p>
7	<p>Kml of alternate routes of proposed land to be diverted has to be provided.</p> <p>इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर के अनुसार पेयजल की सप्लाई हेतु पाइप लाईन बिछाने का कार्य पूर्व से विद्यमान सड़क मार्ग के ROW में किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि इस कार्य में कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा पाइप लाईन के संचालन एवं रखरखाव में भी सुगमता रहे। इसके अलावा जल शोधन संयंत्र का निर्माण भी पूर्व से मौजूद के पास ही किया जाना आवश्यक होने से उक्त कार्यों हेतु वनभूमि के उपयोग के अलावा अन्य और कोई विकल्प मौजूद नहीं होने के बाबत् यूजर एजेंसी के द्वारा दिए गए तथ्यों से यह कार्यालय सहमत है।</p>

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (तीन सैट)

मवदीय,

LS

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

१०८ माला
उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 ()वसु/मुवसं/2020-21/ 4996-97 दिनांक :

24.09.2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1-उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 5402-403 दिनांक 17.09.2020 के कम में।
- 2-अधिशाषी अभियंता, जन स्वारक्ष्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड - प्रथम, बांसवाडा।

मवदीय
LS

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

१०८ माला
उदयपुर।

उपरोक्त दिनांक

24/09/20 १०८

पुष्टि प्रमाणित

6375993336

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2020/5402-403

दिनांक: 17/09/2020

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :—जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ :—अति. प्र.मु.व.सं. सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ. 14 (WATER/PHED) एफसीए/प्रमुवसं/2114-20 दिनांक 06.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में उप वन महा निरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार, लखनऊ के पत्रांक 8B/Raj/08/2020/FC/736 दिनांक 16.07.2020 से चाही गई सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4667 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वांछित सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण यूजर एजेंसी के पत्र क्रमांक 361 दिनांक 15.09.2020 (मूल प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार भारत सरकार के द्वारा वांछित सूचना/स्पष्टीकरण के संबंध में बिंदुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

बि.सं.—1 WTP and Pump House are proposed to be constructed on forest land, however, as per Google earth Imagery and Digital Maps adjoining non forest land can be used for this purpose. Why these structures have been proposed on forest land.

प्रत्युत्तर— प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र एवं पंप हाउस के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग के संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। तदनुसार एवं मौके कि स्थिति के अनुसार इस कार्य हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा अन्य और कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

बि.सं.—2 CA Scheme to be as per FCA guidelines. For planting 1000 saplings per ha.

प्रत्युत्तर— प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान श्रमिक दरों के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किए गए मॉडल के अनुसार ही है, जो कि सही है।

बि.सं.—3 No objection certificates of concerned departments has to be provided.

प्रत्युत्तर— इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार पेयजल की सप्लाई करने हेतु माही डैम से प्रतिदिन 30 लाख लीटर जल लिए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए यूजर एजेंसी के द्वारा जल संसाधन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है जिसकी प्रमाणित—प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

बि.सं.—4 Muck Disposal plan approved by the DFO has to be Provided.

प्रत्युत्तर— इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार परियोजना के निर्माण कार्य में कोई मलबा सृजीत नहीं होगा इस आशय की अंडरटेकिंग संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 2 पर

बि.सं.-5 NPV Calculation has to be provided. How is this possible that Eco class and density is same across all forest blocks ?

प्रत्युत्तर- प्रस्ताव में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना के संबंध में निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा हेतु स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार वन मण्डल बांसवाड़ा के अंतर्गत आने वाला वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिये Eco-Value class III निर्धारित है। परियोजना के अंतर्गत पाईप लाइन के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि में अधिकांश स्थानों पर वनस्पति का घनत्व 0.2 अथवा उससे भी कम है तथा यह वन क्षेत्र Open Forest कि श्रेणी में आता है। तदनुसार वनस्पति के औसत घनत्व के आधार पर प्रति हेक्टेयर 6,26,000 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की गई है, जो कि सही है।

बि.सं.-6 The Net suitable area for plantation as per GIS DSS analysis is 5.63 ha. which is less than the actual required area for C.A.

प्रत्युत्तर- भारत सरकार के द्वारा अवगत करवाया गया है कि GIS DSS analysis के अनुसार क्षति-पूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गई 16.4546 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से मात्र 5.63 हेक्टेयर क्षेत्र ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. 11-423/2011-FC दिनांक 08.11.2017 के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार बचे हुए लगभग 11.00 हेक्टेयर क्षेत्र के दोगुने अर्थात् 22.00 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किए गए मॉडल के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाये जाने के लिये 16.4546 हेक्टेयर गैर वन भूमि के पास में ही स्थित 22.00 हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित कर ली गई है जिसकी SOI Toposheet, DGPS Map, Approved CA Model एवं CA Scheme कि हार्ड कॉपी संलग्न प्रस्तुत है। इन सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी Online प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है। चिह्नित कि गई 22.00 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाने के लिये सर्वथा उपयुक्त पाई गई है।

बि.सं.-6 Kml file of alternative routes of proposed land to be diverted has to be provided.

प्रत्युत्तर- इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर के अनुसार पेयजल की सप्लाई हेतु पाईप लाइन बिछाने का कार्य पूर्व से विद्यमान सड़क मार्ग के ROW में किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि इस कार्य में कम से कम वन भूमि प्रभावित हो तथा पाईप लाइन के संचालन एवं रखरखाव में भी सुगमता रहे। इसके अलावा जल शोधन संयंत्र का निर्माण भी पूर्व से मौजूद Intake Well के पास ही किया जाना आवश्यक होने से उक्त कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा अन्य और कोई विकल्प मौजूद नहीं होने के बाबत यूजर एजेंसी के द्वारा दिए गए तथ्यों से यह कार्यालय सहमत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)

उप वन संरक्षक,

बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2020/

दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड-प्रथम, बांसवाड़ा निम्न को उनके पत्रांक 361 दि. 15.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,

बांसवाड़ा